## 13.05.17

राज्य द्वारा एडीपीओ। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी शशिकांत को गिरफतारी वारण्ट जारी किए जाने के उपरांत अनिवार्हित है। प्रकरण के अबलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी दिनांक 22.03.17 से अनुपस्थित है और उसके विरुद्ध जारी गिरफतारी वारण्ट उस पर तामील नहीं हो रहे हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि आरोपी स्वयं को वारण्ट निष्पादन से बचने के लिए छिपाये हुए हैं अथवा ्र अथव रहा अतः अनुपस्थित ... का कार्यवाही की जाती है। आरोपी जारा हो। जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा हो।

सही / फरार हो गया है। प्रकरण अंतिम तर्क की स्टेज पर है। अतः अनुपरिथत आरोपी के विरुद्ध धारा 299 द.प्र.स. की कार्यवाही की जाती है। आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी वाारण्ट जारी ही 🏑

जिला भिण्ड म.प्र.

्रम्। लड म्। लड म्।